जनशक्ति नियोजन विभाग
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छ0ग0 लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पूर्व मार्गदर्शन योजना

छ0ग0 प्रदेश के युवाओं हेतु छ0ग0 लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कुल 302 पदों का विज्ञापन माह दिसम्बर 2011 में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के युवाओं को छ0ग0 लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2012 जो कि दिनांक 6 मई 2012 को आयोजित है, में अधिकाधिक संख्या में परीक्षा पूर्व मार्गदर्शन की योजना छ0ग0 शासन के जनशक्ति नियोजन विभाग के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तावित है।

दिशा निर्देश :

1. **योजना की समय सारणी** :–

1	विज्ञापन का प्रकाशन	10 फरवरी 2012
2	आवेदकों एवं विषय विशेषज्ञों से आवेदन लेने की अंतिम तिथि	25 फरवरी 2012
3	चयन समिति द्वारा योजना हेतु विषय विशेषज्ञों का चयन	09 मार्च 2012 तक
4	आवेदकों की बैच निर्धारित किये जाने की अंतिम तिथि	03 मार्च 2012
5	मार्गदर्शन बैच प्रारंभ किये जाने की तिथि	14 मार्च 2012
6	मार्गदर्शन समाप्त होने की अंतिम तिथि	30 मार्च 2012

2. **योजना का प्रारूप**:– राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त 27 जिलों हेतु फरवरी 2012 के प्रथम सप्ताह में रोजगार और नियोजन एवं प्रदेश मे प्रचलित अन्य समाचार पत्रों में से आवेदकों तथा विषय विशेषज्ञों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन पश्चात् दिनांक 25 फरवरी 2012 तक संबंधित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों में आवेदकों एवं विषय विशेषज्ञों के आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन प्राप्ति पश्चात् जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रो द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक जिले में अधिकतम 300 आवेदकों का चयन मार्गदर्शन दिये जाने हेतु किया जायेगा।

I **आवेदकों की चयन प्रकिया** :– आवेदकों का चयन स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के 80% एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्त अंकों के 20% अंक को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार कर, मेरिट कम से किया जायेगा। यदि कोई उम्मीदवार केवल स्नातक है तो उसकी स्नातक परीक्षा के प्राप्त अंकों के 100% अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट में उसका कम निर्धारित किया जायेगा।

प्रत्येक जिले में उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों में से चयन प्रक्रिया अनुसार अधिकतम 300 आवेदकों का चयन कर लिया जायेगा एवं समय एवं स्थल की अनुकूलता एवं उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम 30 से अधिकतम 50 आवेदकों की एक बैच के मान से कुल 7 बैचों का निर्धारण किया जायेगा। किसी जिले में आवेदकों की संख्या 300 से कम होती है किंतु 100 आवेदकों से अधिक है, तब भी आवश्यकतानुसार 7 बैचों का निर्धारण कर मार्गदर्शन संबंधित जिले में प्रदान किया जावेगा। यदि आवश्यक हो तो चयनित आवेदकों की कुल 14 बैच का भी निर्धारण कलेक्टर महोदय की अनुमति से किया जा सकता है। आवेदनों की संख्या 100 से कम होने पर इन आवेदकों का मार्गदर्शन निकटवर्ती जिले में किया जायेगा। तदानुसार इन आवेदकों के मार्गदर्शन पर व्यय का बजट संबंधित जिलों को प्रदान किया जायेगा एवं आवश्यक होने पर निकटवर्ती जिले के उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी द्वारा यथासंभव इन आवेदकों के ठहरने की व्यवस्था भी की जायेगी। इस प्रकार आवेदकों की समस्त चयन प्रक्रिया दिनांक 03 मार्च 2012 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

II **आरक्षण** :– प्रत्येक जिले में उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी द्वारा कुल चयनित आवेदकों में 20% अनुसूचित जनजाति, 16% अनुसूचित जाति एवं 14% अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक श्रेणी में 30% स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

III **विषय विशेषज्ञों की चयन प्रक्रिया** :– प्रत्येक जिले में विषय विशेषज्ञों के चयन के लिए संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसाार चयन समिति का गठन किया जावेगा:–

1. जिला कलेक्टर – अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक – सदस्य
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सदस्य
4. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/ जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य
5. जिले में उपलब्ध महाविद्यालयों में से किसी एक महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य
6. उपसंचालक, रोजगार/जिला रोजगार अधिकारी – सदस्य सचिव

उपरोक्त परीक्षा पूर्व मार्गदर्शन में निम्नानुसार 7 विषयों के विषय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा।

स0क0	विषय
1	इतिहास
2	भूगोल
3	राजनीति शास्त्र
4	गणित, (मानसिक एवं तार्किक योग्यता आधारि)
5	विज्ञान
6	वाणिज्य/अर्थशास्त्र
7	समसामयिक घटनाक्रम

उपरोक्त चयन समिति द्वारा प्रत्येक जिले में एक विषय विशेषज्ञ एवं आवश्यक होने पर दो विषय विशेषज्ञ का चयन किया जायेगा। अर्थात् प्रत्येक जिले में न्यूनतम 7 एवं अधिकतम 14 विषय विशेषज्ञ का चयन किया जायेगा। विषय विशेषज्ञों की चयन प्रक्रिया दिनांक 09 मार्च 2012 तक सम्पन्न कर ली जायेगी।

आवेदकों के बैच निर्धारण एवं विषय विशेषज्ञों के चयन पश्चात् दिनाक 14 मार्च 2012 से समस्त बैच का एक साथ मार्गदर्शन प्रारंभ किया जायेगा, जो कि दिनांक 30 मार्च 2012 तक सम्पन्न किया जायेगा।

3. **मार्गदर्शन स्थल** :– प्रत्येक जिले में विज्ञापन पश्चात् जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी द्वारा पर्याप्त संख्या के कक्षों वाले भवन की व्यवस्था की जायेगी जो कि 300 आवेदकों हेतु पर्याप्त हो। यथासंभव शासकीय महाविद्यालय/भवन की व्यवस्था की जायेगी एवं शासकीय भवन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिला कलेक्टर की अनुमति से निजी भवन किराये से लिये जायेंगे।

4. **फर्नीचर, बिजली एवं जल व्यवस्था** :– प्रत्येक जिले में उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी द्वारा मार्गदर्शन स्थल पर आवश्यक फर्नीचर, बिजली एवं जल व्यवस्था की जायेगी। शासकीय संस्थाओं से फर्नीचर एवं अन्य उपलब्ध न होने पर जिला कलेक्टर की अनुमति से इनकी व्यवस्था किराये पर की जा सकती है।

5. **मार्गदर्शन का पाठ्यक्रम** :– मार्गदर्शन के पाठ्यक्रम का निर्धारण संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर द्वारा किया जायेगा। संचालनालय द्वारा तैयार किया गया समस्त विषयों का पाठ्यक्रम पृथक से मैदानी कार्यालयों को प्रेषित किया जावेगा।

6. **विषय विशेषज्ञों का मानदेय** :– विभिन्न विषयों के लिए मानदेय की दर अधिकतम 1500/– प्रतिदिन प्रति विषय होगी। प्रत्येक विषय विशेषज्ञ को एक बैच को न्यूनतम 40 मिनट की समयावधि की दर से 7 बैचों को मार्गदर्शन दिया जाना होगा।

7. **मार्गदर्शन की समयावधि** :– प्रतिदिन प्रति बैच को न्यूनतम 40 मिनट प्रति विषय अर्थात् 7 विषयों हेतु न्यूनतम 280 मिनट का मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा। किसी भी दशा में प्रति विषय की पीरियड की समयावधि 40 मिनट से कम नहीं की जायेगी। मार्गदर्शन अवधि के मध्य में यथासंभव आवश्यकतानुसार विश्राम दिया जा सकता है। इस प्रकार कुल 15 दिनों का मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।

8. **मार्गदर्शन शुल्क** :– मार्गदर्शन कार्यक्रम पूर्णतया निःशुल्क है। इस हेतु आवेदकों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

9. **मार्गदर्शन हेतु पात्रता** :–

मार्गदर्शन हेतु आवेदकों के लिए निम्न पात्रतायें निर्धारित की गई हैं–

i आवेदक छ0ग0 का मूल निवासी होना चाहिये।

ii आवेदक न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं अनारक्षित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए न्यूनतम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के लिए स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किया होना चाहिये।

iii विशेष श्रेणी के आवेदको द्वारा शासन द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

iv आयु – ऐसे समस्त आवेदक जो छ0ग0 लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2012 के विज्ञापन में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत हैं, आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

विषय विशेषज्ञों हेतु निम्नानुसार पात्रतायें निर्धारित हैं:–

i छ0ग0 का मूल निवासी होना चाहिये।

ii स्नातक परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो।

iii प्रतियोगी परीक्षाओं में मार्गदर्शन प्रदान करने के अनुभवी को प्राथमिकता दी जायेगी।

10 **मार्गदर्शन का निरीक्षण** :– इस परीक्षा पूर्व मार्गदर्शन की गुणवत्ता निर्धारण हेतु समय–समय पर चयन समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा।

11. **सामग्री की प्रतिपूर्ति** :– मार्गदर्शन स्थल पर आवश्यक सामग्रियों जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, स्टेशनरी इत्यादि की प्रतिपूर्ति उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार स्वीकृत की जाएगी। प्रत्येक जिले में चयनित विषय विशेषज्ञ द्वारा न्यूनतम 100 पेज की अध्ययन सामग्री (पर्वू वर्षों के लोक सेवा आयोग परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं मॉडल प्रश्न पत्र सम्मिलित करते हुये) संबंधित उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी को प्रदान की जायेगी। उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी द्वारा इस अध्ययन सामग्री का आवश्यक संख्या में मुद्रण करवाकर आवेदकों को प्रदान की जायेगी।

12. **आवेदन कैसे करें:–**

12.1 :– **आवेदकों के लिए** :– आवेदक विज्ञापन प्रकाशन उपरांत निर्धारित पपत्र में संबंधित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों में आवेदन प्रेषित करेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। एक आवेदक केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकता है। आवेदक हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

12.2 :– **विषय विशेषज्ञों के लिए** :– विषय विशेषज्ञ विज्ञापन प्रकाशन पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र को आवेदन करेंगे। समय सीमा पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। विषय विशेषज्ञ प्रदेश के किसी एक ही जिले में आवेदन कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञ केवल एक ही विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञ हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–2 में दिया गया है।

13. चयन पूर्व प्रकिया :–

13.1 **आवेदकों के लिए** :– उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी विज्ञापन प्रकाशन पश्चात् आवेदन पत्रों की पंजी (परिशिष्ट–3) श्रेणीवार पृथक–पृथक संधारित करेंगे। प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि संबधित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा उसी दिन पंजी में की जायेगी। विज्ञापन की अंतिम तिथि के उपरांत संबधित जिला

रोजगार एव स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा इस पंजी के आधार पर अलग–अलग श्रेणीवार चयन प्रक्रिया में निर्धारित मापदण्ड अनुसार आवेदकों की मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

संचालनालय द्वारा प्रदान किये गये आरक्षण प्रतिशत के आधार पर अलग–अलग श्रेणीवार आवेदकों का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। आवेदकों के चयन पश्चात् चयनित आवेदकों की सूची संबंधित कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, आदिम जाति कल्याण कार्यालय, एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेगी।

उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया दिनांक 03 मार्च 2012 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

13.2 **विषय विशेषज्ञों के लिए** :– प्रत्येक जिले में विषय विशेषज्ञों के प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का प्रतिदिन संधारण निर्धारित पंजी (परिशिष्ट–4) में किया जायेगा। विषय विशेषज्ञों का चयन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार की सूचना संबधित विषय विशेषज्ञ को पत्र/दूरभाष/ई–मेल द्वारा दी जायेगी। विषय विशेषज्ञों की चयन प्रक्रिया दिनांक 09 मार्च 2012 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

14. **संचालनालय को विवरणी का प्रेषण** :– उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी द्वारा 03 मार्च 2012 तक आवेदकों की बैच का निर्धारण एवं विषय विशेषज्ञों की चयन का कार्य पूर्ण किया जाकर इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट – 5) में संचालनालय को फैक्स/ईमेल के माध्यम से दिनांक 6 मार्च 2012 तक दी जायेगी। उपसचालक/जिला रोजगार अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–6) में संचालनालय को ईमेल/ फैक्स/स्पीड पोस्ट के माध्यम से विषय विशेषज्ञ हेतु आवश्यक मानदेय की बजट मांग का प्रारूप दिनांक 12 मार्च 2012 तक प्रेषित किया जायेगा। उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी द्वारा मार्गदर्शन हेतु आवश्यक अधोसंरचना तथा अन्य सामग्रियों की पूर्ति के लिए बजट मांग परिशिष्ट–7 में दिनांक 25 फरवरी 2012 तक की जायेगी।

संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट –1

मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगायें एवं उस पर हस्ताक्षर करें।

I.

1. आवेदक का पूरा नाम .श्री / श्रीमती / कु0 ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. जन्म तिथि तिथि .... माह ....वर्ष ....
4. वर्ग (अजजा / अजा / अपिव / सामान्य) ....
5. धर्म ....
6. विकलांगता (हां / नहीं) यदि हां तो प्रतिशत ....
7. पत्र व्यवहार का पता ....

   दूरभाष क्रमांक ....

   मोबाईल नं. ....

   ई–मेल एड्रेस . ...
8. शैक्षणिक योग्यता

स0 क0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	विषय	संस्था व विवि का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
	हाईस्कूल					
	हायर सेकेण्डरी					
	स्नातक					
	स्नातकोत्तर					

उत्तीर्ण परीक्षा में परिणाम यदि ग्रेड में दिया गया है तो आवेदक ग्रेड को प्रतिशत में दर्शाये।

9. जिला रोजगार कार्यालय के पंजीयन संबंधी विवरण :

   अ. पंजीयन क्रमांक ....

   ब. पंजीयन तिथि ....

   स. रोजगार कार्यालय का नाम ....

10. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो)

   (1) हाईस्कूल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र परीक्षा (जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो)

   (2) हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र

   (3) स्नातक प्रमाण पत्र

   (4) स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र

   (5) जाति प्रमाण पत्र

   (6) छ0ग0 निवास प्रमाण पत्र

   (7) विकलांगता प्रमाण पत्र (जिला मेडिकल बोर्ड से प्राप्त)

(आवेदक उपरोक्त सभी जानकारी अनिवार्य रूप से भरें।)

II. **घोषणा / वचन पत्र :–**

1. मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी सत्य है। जानकारी गलत पाये जाने की दशा में मुझे मार्गदर्शन कार्यक्रम से वंचित किया जा सकेगा।
2. मैं वचन देता हूं कि मार्गदर्शन स्थल पर अनुशासन बनाये रखूंगा एवं निर्देशों का पालन करूंगा
3. मार्गदर्शन के दौरान मेरी उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक होगी अन्यथा मुझे प्रशिक्षण से वंचित किया जा सकेगा।
4. मार्गदर्शन के दौरान चोटग्रस्त अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर इसकी संपूर्ण जवाबदेही मेरे स्वयं की होगी।

दिनांक : .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

स्थान : .... पूरा नाम ....
....

परिशिष्ट–2

विषय विशेषज्ञ हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रशिक्षक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो

1. विषय का नाम (जिसमें मार्गदर्शन प्रदान करने के इच्छुक हैं)

विषय का नाम	कोड

2. नाम ....
3. पिता/पति का नाम ....
4. पत्र व्यवहार का पता ....
   दूरभाष क्रमांक ....
   मोबाईल नं. ....
   ई–मेल एड्रेस ....
5. श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/सामान्य) ....
6. धर्म ....
7. शैक्षणिक एवं विशेष योग्यता

स0क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	विषय	संस्था /विवि का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	अभ्युक्ति

8. क्या पूर्व में प्रतियोगी परीक्षा विशेषतः संघ/राज्य लोक सेवा आयोग के मार्गदर्शन का अनुभव है? ....
9. कार्यानुभव (अध्यापन एवं प्रशिक्षण के विशेष संदर्भ में) ....

क्र0	नियोजन संस्था का नाम	धारित पद	अवधि		वेतनमान	कर्तव्य की प्रकृति	रिमार्क
			कब से	कब तक			

घ्ाोषणा/वचन पत्र :–

1. मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त समस्त जानकारियां सत्य है।
2. मैं इस योजना हेतु शासन द्वारा निर्धारित समस्त नियम/निर्देशों का पालन करूंगा।

दिनांक : .... प्रशिक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान : ....

परिशिष्ट–3

आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी

श्रेणी –

क0	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम	पता	पुरूष/महिला	जन्म तिथि	आवेदन प्राप्ति दिनांक	स्नातक परीक्षा			स्नातकोत्तर परीक्षा			रिमार्क
						प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	

परिशिष्ट–4

विषय विशेषज्ञों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी

क0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	दूरभाष / मो0नंबर / फैक्स / ई–मेल	श्रेणी	विषय जिसके लिये आवेदन किया है	योग्यता	अनुभव	रिमार्क

परिशिष्ट–5

आवेदक एवं विषय विशेषज्ञ के प्राप्त आवेदन पत्रों की जानकारी

जिले का नाम :–

क्र0	अंतिम तिथि तक आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या								योग		अंतिम तिथि तक विषय विशेषज्ञों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या						
	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		सामान्य										
	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	इतिहास	भूगोल	राजनीतिशास्त्र	गणित	विज्ञान	वाणिज्य	समसामयिक घटनाक्रम

परिशिष्ट–6

विषय विशेषज्ञों के मानदेय हेतु बजट मांगपत्रक

क0	विषय	विषय विशेषज्ञों की संख्या	आवश्यक मानदेय प्रतिदिन की दर से	संपूर्ण मार्गदर्शन अवधि हेतु आवश्यक मानदेय की कुल राशि
			योग	

यह मांगपत्र ईमेल/फैक्स/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से संचालनालय को दिनांक 12 मार्च 2012 तक प्रेषित करें।

<u>परिशिष्ट–7</u>

योजना हेतु बजट मांगपत्रक

जिले का नाम :–

03–यात्रा भत्ता	04–कार्यालय व्यय							योग कार्यालय व्यय	सकल योग कॉलम 1+9
	डाक तार 001	दूरभाष 002	फर्नीचर तथा कार्यालय उपकरण 002	बिजली एवं जल प्रभार	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	अन्य आकस्मिक व्यय	किराया महसूल कर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

यह बजट मांग पत्रक दिनांक 25 फरवरी 2012 तक स्पीड पोस्ट/फैक्स/ई–मेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से संचालनालय को प्रेषित करें।